14 फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

सलीम मिया ....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम समीद मिया वगै0 ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 24 ....सन् 2023

धारा 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। ~~थाना~~ प्रभारी/अंचल अधिकारी बिरनी के ज्ञापांक सं0 161 दिनांक 21.02.2023 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 9.3.2023 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 9.3.2023 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

20.4.23

प्रथम पक्ष उप० | द्वितीय पक्ष कथालनन हाजिर |

द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा को दाखिल किया गया साथ ही फर्द सबूत के साथ दस्तावेज दाखिल किया गया |

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया |

पश्नगत भूमि उभय पक्षों की खेतियानी भूमि है तथा विवाद का कारण आपसी बंटवारा एवं भूमि विक्रय को है | उभय पक्ष

ा की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आपसी बँटवारा के आधार पर जमीन का दावा करते हैं तथा कुछ अंश को बिक्री भी करते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 5.08.2008 दाखिल किया गया है जिसके अनुसार मौखिक बँटवारा के आधार पर जमीन का बिक्री प्रथम पक्ष के द्वारा किया गया है, परन्तु पक्ष के द्वारा ही बँटवारा पर प्रश्न उठाया जा रहा है। अतः उभय पक्ष को सक्षम न्यायालय में जाने का निर्देश दिया जाता है। द.प्र.स. की धारा 144(5) के अंतर्गत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 28/4	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.04.21 11:33:59 +05:30
Location: 192.168.1.8